परिपत्र सं EC No. 191 पुनर्वित्त DoR. 52 2019-20 21 जून June 2019

नाबार्ड

सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति(बुनकर) No.NB.DoR-Policy(Weavers)/921/एA-7(P)/2019-20

अध्यक्ष The Chairman

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक All Regional Rural Banks

प्रिय महोदय Dear Sir

नाबार्ड द्वारा अलग-अलग बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(iv) और धारा 21(1)(v) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान - 2019-20 के लिए नीति

Provision of Short term credit limits to RRBs under Section 21(1)(iv)&(v) read with Section 21(4) of NABARD Act,1981 for financing working capital and marketing requirements of Individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs) / Master Weavers (MWs), weaver members of defunct/non working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies by NABARD– Policy for the year 2019-20

कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 75/पुनर्वित्त-25/ 2014 के साथ पठित 16 मई 2018 का हमारा परिपत्र सं 112 / पुनर्वित्त - 38/2018 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने	Please refer to our Policy Circular No. 112/DoR-38/2018 dated 16 May 2018 read with Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for F.Y. 2018-19 for provision of short term credit limit to Regional Rural Banks for financing working capital and marketing requirements of individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs)/Master Weavers, weaver members of defunct/non working weaver societies, Mutually aided

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट नं. सी-'24', जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbi - 400 051. • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org

वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए अल्पलावधि ऋण सीमाओं के प्रावधान की सूचना दी गई है. वर्ष 2019-20 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए पात्रता संबंधी मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं.	Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies.
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का पुनर्वित्त न्यूनतम 7.9% प्रति वर्ष या समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर से दिया जाएगा. तथापि, 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.75/पुनर्वित्त-25/2014 में इंगित नियम और शर्तों के विभिन्न मानदंडों पर अवधि की गणना तदनुसार परिवर्तित होगी.	2. It has been decided to broadly continue the same policy during 2019-20 also. The eligibility criteria pertaining to this policy for current financial year is given in Annexure.
3. कृपया पावती दें.	3. NABARD's refinance to Regional Rural Banks (RRBs) will be at an interest rate of 7.9 % p.a. minimum or such other rate as decided by NABARD from time to time. However, the period for reckoning on various parameters of terms and conditions and quantum of refinance as indicated in our Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 undergo changes accordingly.
	4. Kindly acknowledge receipt of the same.

भवदीय Yours faithfully

(जी आर चिंताला G. R. Chintala)

मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager

अनुलग्नक Encl : यथोपरि As above

अनुबंध Annexure

नाबार्ड द्वारा अलग-अलग बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान - 2019-20 के लिए नीति

Provision of Short term credit limits by NABARD to RRBs for financing working capital and marketing requirements of Individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs) / Master Weavers (MWs), weaver members of defunct/non working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies

I. Eligibility Criteria for RRBs

(A) लेखा परीक्षा Audit

वर्ष 2017-18 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी होनी चाहिए और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त हो जानी चाहिए. वर्ष 2017-18 की जिन बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी हुई है उन्हें वित्तीय विवरणियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. साथ ही, 31 मार्च 2019 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा 30 जून 2019 तक पूरी हो जानी चाहिए.

Audit of RRBs should have been completed for the year 2017-18 and the relative audit reports together with financial statements received by NABARD. Wherever, audit for 2017-18 is completed and report available, the same may be submitted together with financial statements. Further the audit of the RRBs as on 31.03.2019 should be completed by 30.06.2019.

(B) सीआरएआर मापदंड CRAR

31 मार्च 2018 को 9% से अधिक सीआरएआर होना चाहिए. 31 मार्च 2018 को जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सीआरएआर 9% से कम है किन्तु 31 मार्च 2019 को 9% से अधिक है वे भी पात्र होंगे.

Compliance of CRAR should be 9 % or more as on 31.03.2018. RRBs with CRAR less than 9% as on 31.03.2018 but more than 9% as on 31.03.2019 would also be eligible.

(C) अनर्जक आस्तियों(एनपीए) संबंधी मानदंड NPA norms

6% निवल अनर्जक आस्तियों वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से इन राज्यों निवल अनर्जक आस्तियों की शर्त में 5% की छूट होगी.

RRBs having net NPAs upto 6% will be eligible for refinance. However, with a view to increasing the credit flow in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, the net NPA norms may be relaxed by additional 5% in these States.

II. 23अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 75/पुनर्वित्त-25/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे.

All other terms and conditions detailed in Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 will remain the same.